माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

मालवाहक वाहन किराये पर लेने हेतु
निविदा सूचना

विश्वविद्यालय समय-समय पर मालवाहक वाहन जैसे पिकअप वाहन, 14 फीट मालवाहक वाहन (लोडिंग ट्रक) तथा समकक्ष वाहन किराये पर लिए जाने हेतु पंजीकृत मालवाहक एजेसियों से एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करता है। इच्छुक पंजीकृत मालवाहक एजेसिंया कार्यालयीन समय में **''कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल** के नाम **रूपये-1000+GST18% Total=1180/- (रूपये एक हजार एक सौ अस्सी रूपये मात्र वापसी योग्य नहीं)** का डिमांड ड्राफ्ट देकर निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के प्रशासन शाखा से प्राप्त कर सकते हैं या विश्वविद्यालय की वेबसाइट **https://www.mcu.ac.in/** से डाउनलोड कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि **24 अगस्त 2026 अपरान्ह 3.00 बजे** तक है । निविदा उसी दिन **4.00 बजे** निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। बिना कारण बताए समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनपुरम् परिसर, म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी के सामने, पोस्ट बरखेड़ा नाथू,
बिसनखेड़ी, भोपाल(म.प्र.)462044

वेबसाइट - www.mcu.ac.in

मालवाहक वाहन किराये पर लेने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा फॉर्म जारी करने की तिथि : 08/08 /2026

निविदा फॉर्म का शुल्क जीएसटी सहित : रू. 1180/-

(रू.1000/- + जीएसटी 18 प्रतिशत रू.180/- कुल राशि रु 1180/-)

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 24/08/2026 अपरान्ह 03.00बजे

निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 24/08/2026 अपरान्ह 03.30 बजे

.

A लिफाफे में रखे

<u>अमानत राशि/प्रतिभूति राशि (EMD) का विवरण</u>

1. निविदा फार्म शुल्क जीएसटी सहित रु 1,180/– का बैंक ड्राफ्ट क्रं...................................
....
(Demand draft of rupees 1,180/- In favour of -Registrar, MCNUJC payable at Bhopal)

2. बैंक का नाम एवं दिनांक ....

3. अमानत राशि (EMD) रु 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट क्र..
(Demand draft of rupees 50,000/- In favour of -Registrar, MCNUJC payable at Bhopal)

4. बैंक का नाम एवं दिनांक...

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित).....................................दिनांक...........................

नोटः– A लिफाफे में केवल निविदा शुल्क (जीएसटी सहित) एवं अमानत राशि के बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें एवं सील बन्द करें।

B लिफाफे में रखे

<u>निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)</u>

प्रति,
कुलसचिव,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार
विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)।

विषयः– मालवाहक वाहन किराये पर लेने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा क्रमांक..................................... ....भोपाल, दिनांक.......................................के संबंध में निवेदन है कि, हमने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त नियमों/शर्तों/निर्देशों/ परिशिष्ट I एवं तकनीकी विवरण परिशिष्ट II का भली–भांति सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है जो कि हमें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अतः हमारी फर्म द्वारा मालवाहक वाहन किराये पर प्रदान करने हेतु निविदा पूर्ण विवरण सहित निम्नानुसार प्रस्तुत है–

क्र.	निविदाकर्ता का विवरण	विवरण			
1	निविदाकर्ता फर्म का नाम				
2	निविदाकर्ता प्रोपराईटर का नाम				
3	निविदाकर्ता फर्म का पूर्ण पता				
	(3.1) दूरभाष क्रमांक				
	(3.2) e-mail.				
4	निविदा प्रपत्र जिसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो।	हॉ		नहीं	
5	फर्म का GST क्रमांक एवं उसका प्रमाण पत्र	हॉ		नहीं	
6	फर्म का PAN क्रमांक एवं उसका प्रमाण पत्र	हॉ		नहीं	
7	कार्य का अनुभव प्रमाण संलग्न करें तीन वर्षो का	हॉ		नहीं	
8	विगत 3 वित्तीय वर्षो का ITR संलग्न	हॉ		नहीं	
9	फर्म के पंजीयन की प्रति	हॉ		नहीं	
10	नगर निगम द्वारा जारी अद्यतन पंजीयन/गुमाश्ता प्रमाण पत्र	हॉ		नहीं	
11	ब्लेक लिस्ट न होने का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न)	हॉ		नहीं	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)...दिनांक....................................

C लिफाफे में रखे

PRICE-BID
(वित्तीय निविदा)

प्रति,

कुलसचिव,

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,

भोपाल (म.प्र.)

फर्म का नाम ....

पता– ....

....

फैक्स नं.......................................फोन नं./मोबाईल नं. ....

मालवाहक वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा दर

S. N.	SPECIFICATION	8 Feet PICK UP with Tirpal	14 Feet Loading Truck with Tirpal	8 Feet PICK UP Covered Container	14 Feet Loading Truck Covered Container
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Full day Local 8 Hrs. 80 Kms.				
2	Half day Local 4 Hrs. 40 Kms.				
3	Out Station Charges Per Kms.				
4	Per Extra Hrs. Charges				
5	Per Extra Kms. Charges				
6	Out Station Night Charges				
7	GST Rates				

➢ **सभी की दरें दिया जाना अनिवार्य है। 14 फीट लोडिंग ट्रक कवर्ड कंटेनर की आवश्यकता लगभग 12 से 15 संख्या मं रहती है। जिसे 24 घंटे की सूचना पर उपलब्ध कराया जाना होगा।**

हस्ताक्षर/संस्था प्रमुख एवं सील (निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

1. निविदा प्रपत्र mcu.ac.in से डाउनलोड करें या विश्वविद्यालय के प्रशासन शाखा से रू. 1180/– के डिमांड ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. यह निविदा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा मालवाहक वाहन किराये पर लेने हेतु आमंत्रित की जा रही हैं।
3. मालवाहक किराये पर लेने हेतु आमंत्रित निविदा वेबसाइट mcu.ac.in पर उपलब्ध है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी।
4. **प्रकिया 1–** निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 1,180/– (रूपये एक हजार एक **सौ** अस्सी मात्र) है। निविदा प्रतिभूति राशि रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) है। ये राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **'ए' लिफाफे** में रखकर सील बंद करें। इसकी प्राप्ति पर ही फर्म को प्रकिया–2 के लिए योग्य माना जायेगा।
5. **प्रकिया 2–** तत्पश्चात उपरोक्त प्रकिया – 1 में योग्य पाई जाने वाली फर्म की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में दर्शित दस्तावेज व फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज **'बी' लिफाफे** में रखना है।
6. **प्रकिया 3–** तत्पश्चात उपरोक्त प्रकिया –2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही **वित्तीय निविदा 'सी' लिफाफा** खोला जावेगा।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

निविदा की अर्हकारी शर्ते

1. **अनुभवः–** फर्म द्वारा पिछले 03 वित्तीय वर्षो में सम्बन्धित संस्थाओ (कम से कम किसी एक शैक्षणिक संस्थान या सरकारी/निजी संस्थान में बस सेवा देने का अनुभव) में किये गये कार्य के आदेश/प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करें।

2. **टर्न ओवरः–**पिछले 3 वित्तीय वर्षो में न्यूनतम रू. 50 लाख रूपये/– (रू. पचास लाख रूपये) प्रतिवर्ष टर्न ओवर का होना अनिवार्य है। **फर्म के टर्न ओवर की चार्टेड एकाउंटेंट से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।**

3. **इनकम टैक्सः–** विगत 03 असेसमेंट वर्षो (2023–24, 2024–25, 2025–26) के इनकम टैक्स प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

4. **ब्लेक लिस्टः–** निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्ट नही होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनविार्य है जो रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत प्रस्तुत किया जाय। शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

5. **प्रत्येक पृष्ठः–** निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे प्रस्तुत किया नही माना जावेगा।
6. **प्रमाण पत्रः–** संस्था/फर्म/कम्पनी के निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें :–
    1- संबंधित क्षेत्र में संस्था का वैध पंजीयन (अद्यतन) की छायाप्रति
    2- गुमास्ता
    3- GST नम्बर एवं उसका प्रमाण पत्र
    4- PAN नम्बर एवं उसका प्रमाण पत्र
7. **निर्धारित प्रपत्रः–**निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। निविदा प्रपत्र का मूल्य वापसी योग्य नहीं है।
8. मालवाहक वाहन के वैद्य आरसी (RC), बीमा (Insurance) और फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतियॉ संलग्न करना होगा। मालवाहक वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए। (न्यूनतम 05 कंटेनरयुक्त मालवाहक वाहन की जानकारी संलग्न करें)

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

परिशिष्ट–I

आवश्यक निर्देश

कृपया निविदा भेजे जाने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों/सूचना को भली भांति पठन कर लेवें तदनुसार ही परिपूर्ण निविदा को नियत तिथि दिनांक 24/08/2026 को दोपहर 03.00 बजे के पूर्व, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर/स्वतः, विश्वविद्यालय की प्रशासन शाखा के पते पर सील बंद लिफाफे में प्रेषित करें।

कार्य का नाम	: मालवाहक वाहन किराये पर लेने हेतु।
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	: **दिनांक 24/08/2026** को दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मूल्य जीएसटी सहित	: रू. 1,180/– (डिमाण्ड ड्राफ्ट) वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि (EMD)	: रू. 50,000/– (डिमाण्ड ड्राफ्ट)

निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

1. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दरें सभी करों सहित (अंकों एवं शब्दों में) को पूर्ण स्पेसिफिकेशन के साथ देना होगा। जिसमें संस्था की सील/मुद्रा व निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
2. मालवाहक वाहन किराये पर लगाने के संबंध में केन्द्र/राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों द्वारा समय समय पर अधिरोपित टेक्स एवं ड्यूटीज का भुगतान अनिवार्य रूप से करने का उत्तर दायित्व निविदाकर्त्ता का होगा।
3. यदि निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है, तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य रू. 1180/–की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
4. EMD राशि के अभाव में टेंडर अधूरा माना जाकर उक्त निविदाकार के Technical तथा Price Bid नहीं खोले जायेंगे।
5. अमान्य/असफल निविदाकर्ता की EMD मूलरूप से वापस की जायेगी। किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
6. जिस संस्था को कार्य आदेश दिया जायेगा, उस संस्था की EMD को सुरक्षा निधि मानते हुए जमा कर लिया जायेगा तथा कार्य सम्पूर्ण होने पर ही सुरक्षा निधि वापस की जायेगी। उक्त राशि पर काई ब्याज देय नहीं होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् रू. 1000/–(रूपये एक हजार मात्र) मूल्य के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उभयपक्षीय अनुबंध करना होगा।
8. आवंटित कार्य को करने से मना करने पर/विलंब करने पर धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एवं विश्वविद्यालय निर्धारित अवधि के उपरांत अन्य फर्म से कार्य कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं इस संबंध में फर्म का कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
9. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति मे विचार नही किया जावेगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी निविदा प्रतिभूति एवं अन्य आवश्यक विवरण एवं जानकारियों के अभाव में प्राप्त निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।
11. पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा फर्म की कार्य क्षमता, व्यवहार एवं गुणवत्ता को देखते हुए अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

13. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष कार्य का अनुबंध समाप्त करना चाहता हे तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है।
14. निविदा की शर्तो में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।
15. यह निविदा अहस्तान्तरणीय है।
16. वाहन का उपयोग गोपनीय सामग्री के परिवहन हेतु होगा। वाहन चालक या उसके सहयोगी द्वारा गोपनीयता भंग की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। इस हेतु उन्हें अनुबंध भी करना होगा।
17. निविदा खोलते समय यदि फर्म का प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता है तो बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति अमान्य होगी।
18. आदेशानुसार मालवाहक वाहन किराये पर प्रदान नहीं किये जाने पर विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार की क्षति पहुचने पर क्षतिपूर्ति करनी होगी अन्यथा जमा सुरक्षा निधि से वसूली योग्य होगी।
19. कार्य सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का कार्य आदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जावेगी इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से राशि कटात्री का अधिकार कुलगुरू माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
20. **निविदा निष्पादित करने में असफल होना –** यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा निविदा स्वीकार कर प्रस्ताव दिया है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय द्वारा राजसात कर ली जायेगी।
21. **निविदाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों को गलत पाये जाने की स्थिति में –** निविदाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदाकर्ता के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी एवं संबंधित शासकीय ऐजेसी के माध्यम से वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
22. **विश्वविद्यालय को बिना कारण बताए निविदाओं का निरस्त करने का अधिकार होगा।**
23. **अन्य शर्तों का पालन न करना –** उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त निविदा की शर्तों का पालन न करने पर सुरक्षा निधि से राशि कटौत्री का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
24. विश्वविद्यालय की सेवा के दौरान किसी मालवाहक वाहन का उपयोग करते समय यदि वाहन का **ब्रेक डाउन** होता है तो निविदाकार्ता को तत्काल दूसरे मालवाहक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
25. किसी कारण से निर्धारित दिन या समय पर मालवाहक वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो तत्काल दूसरे मालवाहक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा विश्वविद्यालय अन्य माध्यम से मालवाहक वाहन की व्यवस्था करेगा, जिसके देयक का भुगतान निविदाकर्ता को करना होगा।
26. **<u>कुलगुरू, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के विशेषाधिकार –</u>**

(अ) निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्व–विवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(ब) निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलगुरू महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

(स) विश्वविद्यालय के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

(द) निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलगुरू, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।

(इ) न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

परिशिष्ट– II

मालवाहक वाहन किराये पर लगाने विषयक निविदा का तकनीकी विवरण

(Technical Detail)

01. फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षो में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, बैंक, शासकीय संस्था में मालवाहक वाहन किराये पर प्रदान करने के संबध में कार्य किया जाने संबंधित आदेश/प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें ।

02. संस्था का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) में **न्यूनतम 50 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना अनिवार्य है।** फर्म के टर्न ओव्हर की चार्टड एकाउन्टेट से प्रमाणित छाया प्रति अथवा इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी संलग्न करें।

03. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो रू. 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें। (निविदा फार्म में दिए गये प्रारूप अनुसार)

04. निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर सत्यापन हेतु हस्ताक्षर करें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न नहीं माना जायेगा। बाद में कोई दस्तावेज झूठा या कूटरचित पाए जाने पर निविदा अमान्य कर दी जाएगी तथा सुरक्षा निधि राशि (EMD) जब्त की जाएगी।

05. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर हो निविदा के साथ संलग्न करें :–

    (क) संबंधित क्षेत्र में संस्था का वैद्य पंजीयन (अद्यतन) की छाया प्रति संलग्न करें।

    (ख) जी.एस.टी. नम्बर। (छाया प्रति संलग्न करें)

    (ग) पैन कार्ड नम्बर। (छाया प्रति संलग्न करें)

    (घ) पिछले तीन पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2023–24, 2024–25, 2025–26) का इनकम टैक्स विवरणी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

06. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।

07. वित्तीय दरें सुस्पष्ट अक्षरों में अंकों एवं शब्दों में अंकित करें। कॉट–छॉट अथवा अपर लेख होने की स्थिति में अमान्य होगी।

08. मालवाहक वाहन के वैद्य आरसी (RC), बीमा (Insurance) और फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतियाँ संलग्न करनी होगी। **वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने** नहीं होना चाहिए।

09. सभी वाहन उत्तम स्थिति में होनी चाहिए। मालवाहक वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) होना अनिवार्य है।

10. चालक और सह–चालकः चालकों के पास भारी वाहन (HMV) चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उनका व्यवहार शालीन और पुलिस सत्यापन (Verification) होना अनिवार्य है।

11. मालवाहक वाहनों का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी और रूट के अनुसार ही करना होगा। देरी होने पर 1,000/– प्रति प्रसंग जुर्माना लगाया जाएगा।
12. यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, दुर्घटना या कानूनी विवाद (RTO/पुलिस) के लिए पूरी तरह से ऑपरेटर जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय की कोई वित्तीय या कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. देयको का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर ड्यूटी स्लीप पर वि.वि. के कर्मचारियों द्वारा प्रमाणीकरण के उपरांत देयक प्रस्तुत किये जाने के उपरांत होगा।
14. विश्वविद्यालय प्रशासन के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
15. मालवाहक वाहनों की आवश्यक संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
16. वाहन ठीक कंडीशन, ठीक नहीं होने, मीटर रीडिंग खराब होने पर देयक से कटौत्री की जायेगी।
17. रूट पर जाने के पूर्व वाहन में पेट्रोल/डीजल पूर्णतः भरा हो एवं इस संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रति प्रसंग 1000/– रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।
18. मालवाहक वाहन को एक बार में कई जगहों पर डिलेवरी देनी होगी। वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर ही भुगतान होगा।
19. वाहन/गाड़ियॉ विश्वविद्यालय की संक्षिप्त सूचना के आधार पर लगानी होगी। गाड़ी उपलब्ध न कराने की दशा में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा विश्वविद्यालय अन्य संस्था से वाहन किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अन्य संस्था से वाहन लेने की दशा में देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता को करना होगा ।
20. वाहन/गाड़ियों के रोड टैक्स एवं इन्श्योरेंस पूर्ण होने चाहिए तथा ड्राईवर का लाइसेंस कामर्शियल हो। विश्वविद्यालय के मॉगने पर इन प्रपत्रों की फोटोप्रति देनी होगी।
21. मालवाहक वाहनों के लिए विश्वविद्यालय से दिये जाने वाले आदेश में स्थानों का उल्लेख होगा और आदेशित प्रस्थान से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी का प्रति कि.मी. अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। उदाहरण के लिए बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर से गोपनीय सामग्री को भोपाल लाने पर अथवा गोपनीय सामग्री को भोपाल से सागर, जबलपुर ले जाने पर केवल आदेशानुसार प्रमाणित तय की गई दूरी का भुगतान होगा। किसी भी परिस्थिति में वाहन के बिना सामग्री आने –जाने का व्यय वहन नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा प्रबन्ध किये जाने वाले वाहन मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के नगरों में स्थित हो कि आदेशानुसार वह वाहन की व्यवस्था करवा सकें। वाहन के साथ विश्वविद्यालय का कर्मचारी भी वाहन में साथ रहेगा।
22. किसी भी दुर्घटना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतएव वाहन चालक एवं उसके अधीनस्थ क्लीनर्स इत्यादि धूम्रपान/नशा आदि करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे तथा वाहन सहित सभी सामग्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
23. **मालवाहक वाहनों से गोपनीय सामग्री के परिवहन हेतु ट्रांसपोर्ट कंपनी को स्वयं के व्यय पर वर्षा, धूप आदि से सुरक्षित रखने हेतु व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये आवश्यक वाटर प्रूफ तिरपाल आदि की व्यवस्था प्रत्येक वाहन में होनी चाहिए ।**
24. **मालवाहक वाहन की आवश्यकता 12 से 15 संख्या में रहती है जो कि प्रत्येक वर्ष मई, जून, जुलाई एवं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती है। कवर्ड कंटेनर पहली प्राथमिकता पर आवश्यक होता है।**

(निविदाकर्ता की सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

(नोटरी से सत्यापित रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर पर)

मैं .... द्वारा प्रोपराईटर मेसर्स .... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूं कि :–

1. यह कि हमारी फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/ उपक्रम से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि हमारी फर्म का मालवाहक वाहन किराये पर प्रदान करने के संबंध में कोई कानूनी विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. यह कि हमारी फर्म पर किसी शासकीय संस्था/उपक्रम की देनदारी शेष नहीं है।
4. यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा निष्पादित उक्त शपथ पत्र के बिन्दु क्रमांक (1) से (4) में वर्णित कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्ण सत्य हैं।

शपथग्रहिता